



Neutral Citation No. - 2026: AHC:5411

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 41652 सन् 2025

सुनील जायसवाल

....याचीकार्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकार्ता के अधिवक्ता :- अभिषेक त्रिपाठी, अजीत कुमार पाण्डेय, अखिलेश कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विजेन्द्र कुमार, को सुना गया तथा प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 / दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अन्तर्गत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या 367 वर्ष 2025 में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/20/29 के अन्तर्गत, थाना- सैनी, जिला कौशाम्बी, में जमानत पर रिहाई की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक के कब्जे से 5.280 किग्रा. गाँजा (कुल 59.245 किग्रा. में से) बरामद होने का आरोप है जो व्यावसायिक मात्रा से कम है। वास्तव में आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं की गई। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूँकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थित नहीं है, अतः इस अपराध में उसके मिथ्या फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने में विफल रहा है। रासायनिक विश्लेषक की कोई रिपोर्ट नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक परेशान करने तथा उत्पीड़ित करने की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दृष्टि से वर्तमान अपराध में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। सह-अभियुक्त राम कुमार सोनकर और पंकज विश्वकर्मा को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 11.12.2025 और 1.12.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 40872 वर्ष 2025 और 41361 वर्ष 2025 में पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया गया है। आवेदक, जो दिनांक 29.10.2025 से जेल में है, जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। जमानत मिलने पर आवेदक जमानत की छूट का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान सहायक महाधिवक्ता ने यह तर्क देते हुए आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है कि पूर्व-विचारण चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, जो निषिद्ध पदार्थ की आपूर्ति में संलिप्त है, अतः आवेदक किसी भी छूट का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त हो जाएगा।

5. यह विधि की स्थापित स्थिति है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। **राजस्थान राज्य बनाम बालचंद @ बलियै (1977) 4 एससीसी 308** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जमानत से इनकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध है और पैरा 2 में अभिमत व्यक्त किया: "मूल नियम को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है: जमानत, जेल नहीं, सिवाय उन परिस्थितियों के जो न्यायालय से जमानत पर रिहाई माँगने वाले याचिकाकर्ता द्वारा न्याय से भागने, न्याय की प्रक्रिया को विफल करने अथवा अपराधों की पुनरावृत्ति, साक्षियों को धमकाने आदि के रूप में अन्य परेशानियाँ उत्पन्न करने की सूचक हों। हमारा आशय सम्पूर्ण नहीं वरन् केवल उदाहरणात्मक है।" और प्रकरण के तथ्यों पर विचार करते हुए तथा **गुदीकंटी नरसिम्हुलू एवं अन्य बनाम लोक अभियोजक, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, एआईआर 1978 एससी 429** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक आदेश, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि होने पर दण्ड की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, अभियुक्त के लिए विशेष परिस्थितियों, विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनसामान्य/राज्य के वृहत्तर हित एवं अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किन्तु गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि यह जमानत देने का उपयुक्त मामला है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त वाद अपराध में सम्मिलित अभियुक्त-आवेदक **सुनील जायसवाल** को व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो-दो प्रतिभूतियों पर, समान राशि में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक विवेचना अथवा विचारण के दौरान साक्षियों को धमकाने/दबाव देने के द्वारा अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 2. आवेदक किसी स्थगन की माँग किए बिना विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 3. आवेदक जमानत पर रिहाई के पश्चात् किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित करने में लिप्त नहीं होगा।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा। बन्धपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं प्रतिभूतियों की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण की सत्यापन की जाएगी।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

7 जनवरी, 2026

पीपी